

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :
(क) जी हाँ। श्रीरोज़ाबाद के मुख्य माल बाबू पर हमला हुआ था (खजाची पर नहीं) और वह जो नकदी ले जा रहे थे उसे छीनने की कोशिश की गयी थी, जो नाकामयाब रही।

(ख) इस बात की जांच की जा रही है कि लुटेरे हथियारों से लैस थे या नहीं, क्योंकि इस बारे में परस्पर विरोधी खबरें मिली हैं।

(ग) जी नहीं। रेलवे सुरक्षा दल का एक हथियारबन्द रक्षक अलबत्ता माल बाबू के साथ था।

Rural Indebtedness in Tripura

*51. Shri Bangshi Thakur: Will the Minister of Community Development and Co-operation be pleased to state:

(a) whether Government have any estimate of the Rural Indebtedness in Tripura at present;

(b) if so, what is the total estimated amount; and

(c) the steps proposed to be taken to safeguard the interest of the rural people?

The Deputy Minister of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). According to the Rural Credit Survey Committee (1952) the average debt per indebted family in Tripura was estimated at Rs. 387 for cultivators and Rs. 265 for non-cultivators. This estimate was based on data of varying degrees of reliability. No estimate of the total indebtedness in Tripura is available.

(c) Steps are being taken to consolidate and expand the Co-operative movement so as to provide larger

institutional credit. As against an advance of Rs. 4.4 lakhs sanctioned by the Tripura Apex Co-operative Bank in 1957-58 to primary societies, the Bank sanctioned Rs. 7.2 lakhs in 1958-59. For the year 1959-60 the Government of India have provided necessary guarantees to the Reserve Bank for an advance of Rs. 10 lakhs to the Tripura Apex Co-operative Bank. With increase in the quantum of credit disbursed through the co-operatives, the loans taken from private money-lenders are expected to decline. The Bombay Money-lenders Act has been extended to Tripura.

रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन

*५२. { श्री सरजू पाण्डेय :
श्री भ्रमजब झली :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे स्टे नों पर टेलीफोन लगाने के लिये आदेश दे दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :
(क) जी हाँ, अगस्त १९५८ में आदेश दिये गये थे कि जिन नगरों में डाक-तार विभाग के टेलीफोन एक्सचेंज हैं उनके नजदीक के सभी स्टेशनों पर टेलीफोन लगा दिये जायें, सिवाय सन उप-नगरीय स्टेशनों के जहाँ माल और पार्सल यातायात का काम नहीं होता।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर में जिन आदेशों का जिक्र है उनके जारी होने से पहले लगभग ४७० स्टेशनों पर टेलीफोन लगे हुए थे। उसके बाद लगभग ३८० स्टेशनों पर टेलीफोन लगाये जा चुके हैं और लगभग २३० और स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने की मांग डाक-तार विभाग के पास बाकी पड़ी है।